कार्यालय अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म0प्र0)

क्रमांक/ 11537 /पैरामेडि./एम.सी./2026 रीवा, दिनांक : 18/5/26

पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2025–26 में प्रवेश हेतु विज्ञापन सह–नियमावली

रजिस्ट्रार, म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल, भोपाल के अनुज्ञा आदेश कमांक/740(12)A/ कालेज/ A25G0113/ 722/ 2026 भोपाल, दिनांक 06.05.2026 के अनुक्रम में स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये विभिन्न स्व–वित्तपोषित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन MP Online के माध्यम से निम्नानुसार आमंत्रित किये जाते हैं:–

I. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियां:–

आवेदन प्रारंभ की तिथि	20 मई, 2026
आवेदन की अंतिम तिथि	04 जून, 2026
आवेदन में त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि	05 जून से 07 जून, 2026
मैरिट सूची का प्रकाशन	12 जून 2026 महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर
स्क्रूटनी/काउंसिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	पृथक से महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर प्रदर्शित की जावेगी।
काउंसलिंग स्थल	डी.एन.एस.चौधरी हॉल चिकित्सा महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
आवेदन शुल्क	अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को रू. 700/– तथा आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के अभ्यर्थी को रू 500/–(MP Online Portal Charge अतिरिक्त देय होगा)

II. पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों का विवरण:–

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की अवधि	स्वीकृत सीट
1.	MEDICAL LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	30
2.	X-RAY (RADIOGRAPHER) TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
3.	ANAESTHESIA TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	20
4.	MICROBIOLOGY	DIPLOMA	02 वर्ष	20
5.	CATH LAB TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
6.	DIALYSIS TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	20
7.	DIPLOMA IN PFT TECHNICIAN	DIPLOMA	02 वर्ष	10
8.	OPTROMETRIC REFRACTION	DIPLOMA	02 वर्ष	15
9.	ORTHO TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	20
10.	E.C.G. TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	20
11.	O.T. TECHNICIAN	CERTIFICATE	01 वर्ष	10
12.	HEALTH INSPECTOR	CERTIFICATE	01 वर्ष	10
13.	HOSPITAL MEDICAL RECORD SCIENCE	CERTIFICATE	01 वर्ष	10

नोट :–

- आवेदन करने हेतु विस्तृत जानकारी तथा नियम एवं निर्देश चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in एवं mponline की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि के उपरांत काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन/प्रवेश प्रकिया की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट www.ssmcrewa.ac.in पर ही उपलब्ध कराई जावेगी, पृथक से अन्य किसी भी माध्यम सूचना नहीं दी जायेगी।

(a) इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोडने या हटाने तथा सीटों की संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है।

18/05/26
शिवम कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

18/5/26
डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

III. **आरक्षण एवं सीटों का निर्धारणः–** सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन एवं माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी नियम/निर्देशों के आधार पर निम्नानुसार है :–

श्रेणीवार आरक्षणः–

श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत
एस.सी.	16
एस.टी.	20
ओ.बी.सी.	14
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.)	10

प्रवर्गवार आरक्षणः–

प्रवर्ग	कुल सीटों का प्रतिशत
महिला अभ्यर्थी	33
दिव्यांग अभ्यर्थी	5
सेवारत अभ्यर्थी	10

(a) शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा में स्वीकृत पैरामेडिकल पाठयक्रमों में विभिन्न श्रेणी एवं प्रवर्ग के लिये प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों का विवरण निम्नानुसार है :–

SHYAM SHAH MEDICAL COLLEGE, REWA (M.P.)
PARAMEDICAL COUNSELING (ACADEMIC YEAR 2025-26)

S.No	Course	Total Seats	Inservice (10%)						Open Quota (90%)						PwD (5%) Seat of Total Seats
			UR (40%)	ST (20%)	SC (16%)	OBC (14%)	EWS (10%)	Total	UR (40%)	ST (20%)	SC (16%)	OBC (14%)	EWS (10%)	Total	
1	Diploma in Medical Lab Technician	30	2 (1F)	1	0	0	0	3	11 (4F)	5 (2F)	4 (1F)	4 (1F)	3 (1F)	27	1
2	Diploma in X-Ray Radiographer Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0
3	Diploma Anaethesia Technician	20	1	1	0	0	0	2	6 (2F)	4 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2 (1F)	18	1
4	Diploma Microbiology Technician	20	1	1	0	0	0	2	6 (2F)	4 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2 (1F)	18	1
5	Diploma Cath Lab Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0
6	Diploma Dialysis Technician	20	1	1	0	0	0	2	6 (2F)	4 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2 (1F)	18	1
7	Diploma in PFT Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0
8	Diploma Optrometric Refraction Technician	15	1	0	0	0	0	1	6 (2F)	3 (1F)	2 (1F)	2 (1F)	1	14	0
9	Certificate Ortho Technician	20	1	1	0	0	0	2	6 (2F)	4 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2 (1F)	18	1
10	Certificate ECG Technician	20	1	1	0	0	0	2	6 (2F)	4 (1F)	3 (1F)	3 (1F)	2 (1F)	18	1
11	Certificate OT Technician	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0
12	Certificate Health Inspector	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0
13	Certificate Hospital Medical Record Science	10	1	0	0	0	0	1	4 (1F)	2 (1F)	1	1	1	9	0

Note :- 1. Seats indicated in PwD quota is encluded in all category of concerned course. Candidate selected in PwD quota will be considered for that category and accordingly the seat will be deducted from that category.
2. For the admission of academic session 2025-26, the gazette notification of Govt. of MP under Takniki Shiksha Kaushal Vikash evam Rojgar Vibhag Bhopal Dated – 02 July 2024 taken into consideration.

13/05/2026
डॉ. नेहा खटीक
सह–प्राध्यापक (नामित)
ऑब्स एंड गायनी विभाग, सदस्य

13/05/26
डॉ. अर्जुन सिंह परमार
प्राध्यापक (नामित)
एनाटॉमी विभाग, सदस्य

13.5.26
डॉ. ज्योति द्विवेदी
प्राध्यापक (नामित)
बायोकेमेस्ट्री विभाग, सदस्य

डॉ. सुरेन्द्र सिंह मौपाची 13/05/
प्राध्यापक
ई.एन.टी. विभाग, अध्यक्ष

(b) शासकीय सेवारत विभागीय कर्मचारियों हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में कुल सीटों का 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।

13/05/26
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

15/05/26
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

IV. शैक्षणिक शुल्क एवं सुरक्षा निधिः— प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरणः— रजिस्ट्रार म.प्र. सह—चिकित्सीय परिषद के पत्र कमांक/F-26/कालेज—2025—2026/797/2026 भोपाल, दिनांक 06.05.2026 के अनुसार निम्नानुसार शैक्षणिक शुल्क निर्धारित हैः—

पाठ्यक्रम	शैक्षणिक शुल्क (सत्र 2025—26 हेतु) प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
DIPLOMA	रू. 64,360 (रू. 59,360/—शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/— सुरक्षा निधि)	रू. 59,360,/
CERTIFICATE	रू. 47,860 (रू. 42,860/—शैक्षणिक शुल्क + रू. 5,000/— सुरक्षा निधि)	

a. यदि कोई आवेदक प्रवेश पश्चात पाठ्यक्रम अवधि के दौरान किसी भी कारण से आवंटित सीट छोडता है अथवा बिना सूचना दिये लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है, तो इस स्थिति में छात्र/छात्रा का प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा तथा जमा समस्त शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जावेगा। प्रवेश निरस्त होने या बीच में पाठ्यक्रम छोडने की स्थिति में छात्र द्वारा नो ड्यूज प्रमाण पत्र जमा करने के पश्चात ही मूल दस्तावेज वापिस किये जावेगें।

b. प्रवेश के समय रू. 5,000/— सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात यह राशि छात्र/छात्रा को बिना ब्याज के प्रतिदेय (वापिस) की जायेगी। साथ ही किसी कारणवश छात्र/छात्रा द्वारा अपना पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के पूर्व छोडने की स्थिति में सरुक्षा निधि किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं की जावेगी।

V. शैक्षणिक योग्यताः—

(1).डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स के लिए उम्मीदवार को भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान (पीसीबी) विषयों में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कक्षा 12वीं प्राप्त न्यूनतम अंक निम्नानुसार होना चाहिऐः—

अ. सामान्य वर्ग हेतु— 40%

ब. आरक्षित वर्ग हेतु— 33%

नोटः— ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने कक्षा 12वीं में बायोलॉजी विषय से परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, वे पैरामेडिकल पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु अपात्र माने जावेगें।

(The candidate must have passed 10+2 with Subjects of Physics, Chemistry and Biology (PCB) for Diploma/Certificate Courses. The minimum eligible marks for following candidates are as follow-

a. General Category Candidates- 40%

b. Reserve Catergory Candidates- 33%

Note:- Any candidate who have not passed his/her 12th class with biology as a subject will not be considered as eligible for admission in any paramedical course.

(2). पैरामेडिकल पाठ्यकम शैक्षणिक सत्र 2025—26 हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं जिसमें शैक्षणिक सत्र 2024—25 अथवा उससे पूर्व हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र होंगे।

VI. आयु पात्रताः—

किसी भी पैरामेडिकल पाठ्यकम में प्रवेश हेतु आवेदक की आयु विज्ञापन जारी होने की दिनांक को 17 वर्ष से कम ओर 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

शिवम कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

VII. आवेदन शुल्कः–

विवरण	आवेदन शुल्क
अनारक्षित वर्ग के आवेदकों हेतु	रू. 700/–(MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC/EWS) के आवेदकों हेतु	रू. 500/–(MP online का पोर्टल चार्ज अतिरिक्त देय होगा)
आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु	MP online द्वारा निर्धारित पोर्टल चार्ज

VIII. आवेदन की प्रकियाः–

1. पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से MP online पोर्टल के द्वारा किये गये आवेदनों पर ही विचार किया जावेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार से प्राप्त आवेदन पत्रों को मान्य नहीं किया जावेगा।
2. समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एक ही आवेदन मान्य किया जावेगा, प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु पृथक–पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।
3. आवेदक नियम एवं निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत ही आवेदन प्रस्तुत करें तथा यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा आवदेन में दी गई जानकारी सही हो जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी। स्क्रूटनी/काउंसिलिंग के दौरान तथा प्रवेश के पश्चात भी यदि आपके द्वारा दी गई जानकारी गलत एवं असत्य पाई जाती है तो आवेदन/प्रवेश को निरस्त कर दिया जावेगा तथा पुनः उस पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

IX. एम.पी. ऑनलाईन द्वारा मेरिट का निर्धारणः– ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदनों की मैरिट सूची MP online के द्वारा तैयार की जावेगी। संस्थान में प्रवेश एवं पाठ्यक्रमों में सीट का आवंटन इसी मैरिट सूची के आधार पर किया जावेगा।

मेरिट का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगाः–

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु मेरिट का निर्धारण हायर सेकेण्ड्री (10+2) की परीक्षा में प्राप्त कुल अंको के आधार पर किया जावेगा।
2. मैरिट सूची में कुल अंक समान होने की स्थिति में निम्नानुसार वरीयता दी जावेगी :–
   (क) उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।
   (ख) यदि कुल अंक एवं उम्र समान पायी जाती है तो वरीयता क्रम में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषयों के योग में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
   (ग) यदि कुल अंक, उम्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषयो के योग में अंक समान हैं तो, जीव विज्ञान में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।
   (घ) यदि कुल अंक, उम्र एवं जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान विषयों के योग तथा जीव विज्ञान विषय में भी अंक समान है तो, कमशः रसायन विज्ञान तत्पश्चात भौतिकी विषय में अधिक अंक रखने वाले को वरीयता दी जावेगी।

नोटः– कार्यालय रजिस्ट्रार, म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल, भोपाल के पत्र कमांक/F-92/ प्रवेश/146/ 2007 भोपाल, दिनांक 19.01.2007 के अनुकम में विभागीय उम्मीदवार का हायर सेकेण्ड्री (10+2) बायोलॉजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा एवं मेरिट सूची सेवा में उनकी वरिष्ठता के आधार पर तैयार की जावेगी।

प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

डॉ. [illegible] त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

X. काउंसिलिंग की प्रकिया:–

1\.

(a) आवेदन फार्म भरने की अंतिम तिथि के उपरांत काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन/प्रवेश प्रकिया की जानकारी केवल महाविद्यालय की वेबसाइट **www.ssmcrewa.ac.in** पर ही उपलब्ध कराई जावेगी, पृथक से अन्य किसी भी माध्यम (जैसे ई–मेल, एस.एम.एस., टेलीफोन, समाचार पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक आदि) से सूचना नहीं दी जायेगी।

(b) पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में सीट आवंटित होने के पूर्व आवेदकों को मैरिट के आधार पर स्क्रूटनी/प्रवेश के लिये आमंत्रित किया जावेगा। जिसकी जानकारी महाविद्यालय की वेबसाइट **www.ssmcrewa.ac.in** पर ही उपलब्ध कराई जावेगी,

(c) काउंसिलिंग की तिथि में किसी भी प्रकार का बदलाव होने की सूचना महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जावेगी। अतः समस्त आवेदक नियमित रूप से महाविद्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

(d) समस्त आवेदको को काउंसिलिग प्रकिया में भाग लेने हेतु रू. 5000 (रू. पॉच हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि, CEO & Dean, S.S. Medical College Rewa के नाम से देय हो, के साथ उपस्थित होंगे। बिना डिमाण्ड ड्राफ्ट के अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि आवेदक प्रवेश प्राप्त करने में सफल होते हैं तो, उक्त राशि को सुरक्षा निधि के रूप में समायोजित कर लिया जावेगा।

नोटः– यदि पाठ्यकम आवंटन के पश्चात आप सीट छोडते हैं तो उक्त डिमाण्ड ड्राफट किसी भी स्थिति में वापिस देय नहीं होगा।

2. निम्नलिखित अनुक्रम में श्रेणी के अनुसार मेरिट–कम–आप्शन के आधार पर काउंसिलिंग 03 चरणों में की जायेगी जो निम्नानुसार होगी :–

अ. प्रथम चरण काउंसिलिंगः–

1\. विभागीय कर्मचारी 2. दिव्यांग अभ्यर्थी 3. कॉमन मेरिट

ब. द्वितीय चरण काउंसिलिंगः–

1\. कॉमन मेरिट

स. तृतीय चरण (मॉप अप चरण) काउंसिलिंगः– द्वितीय चरण की समाप्ति के उपरांत रिक्त रह गई सीटों का परिवर्तन (Conversion) तृतीय चरण में निम्नानुसार होगाः–

यदि किसी श्रेणी में आरक्षण की सीमा तक योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है, तो रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में उपलब्ध कराकर भरा जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया हैः–

(a) एस.टी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(b) एस.सी. श्रेणी की खाली सीटों को एस.टी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(c) अगर एस.टी. ओर एस.सी. श्रेणी में आरक्षण के लिए योग्य आवेदक उपलब्ध नहीं है तो रिक्त सीटों को ओ.बी.सी. श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

(d) यदि पात्र आवेदक उपरोक्त तरीके से तीन आरक्षित श्रेणियों में ऊपर के चरणों में उपलब्ध नहीं हैं तो रिक्त सीटों को पात्र अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों द्वारा भरा जाएगा।

तृतीय चरण में उक्त परिवर्तन (Conversion) के बाद भी सीट रिक्त रह जाती हैं, तो उन सीटों को अन्य राज्य के आवेदकों (Non Domicile) द्वारा उनकी योग्यता/मेरिट लिस्ट के अनुसार भरा जाएगा।

द. द्वितीय एवं तृतीय चरण काउंसिलिंग हेतु पात्रता/अपात्रता (अति महत्वपूर्ण):–

- ऐसे अभ्यर्थियों जो प्रथम अथवा द्वितीय चरण काउंसिलिंग में अनुपस्थित पाये जाते हैं क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय चरण की काउंसिलिंग में सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे।

18/05/26
शिवम् कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

18/05/26
डॉ. लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

- ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम चरण काउंसिलिंग में पाठ्यक्रम का आवंटन हो चुका है/पाठ्यक्रम का चयन अथवा Opt for wait करने से इंकार किया गया है, द्वितीय एवं तृतीय चरण काउंसिलिंग हेतु अपात्र होंगें।

ङ. Opt for wait का चयनः–

- **प्रथम एवं द्वितीय चरण में पाठ्यक्रम आवंटन के समय, अभ्यर्थी की पात्रता अनुसार श्रेणी में वांछित सीट उपलब्ध नहीं है तो, अभ्यर्थी "Opt for Wait Option" का चयन कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय (प्रथम चरण में Opt for Wait का चयन करने वाले अभ्यर्थी) एवं तृतीय चरण (प्रथम एवं द्वितीय चरण में Opt for Wait का चयन करने वाले अभ्यर्थी) की काउंसिलिंग हेतु पात्र माने जावेगे।**
- **प्रथम एवं द्वितीय चरण काउंसिलिंग में Opt for Wait का चयन करने वाले अभ्यर्थियों को यह माना जायेगा कि, संबंधित चरण में अभ्यर्थी की श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर प्रवेश नहीं लेना चाहता है, इसलिये काउंसिलिंग प्रकिया का आगे बढाते हुये उपलब्ध सीटें मेरिट कम में अगले अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी जायेगी। जिसके पश्चात अभ्यर्थी को उक्त चरण की प्रवेश प्रकिया से बाहर माना जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।**

3. ऐसे अभ्यर्थी जो योग्यता कम के अनुसार अपनी बारी आने पर निर्धारित तिथि एवं समय पर अभिलेखों की जांच एवं काउंसिलिंग हेतु स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके काउंसिलिंग एवं प्रवेश संबंधी समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगें, इस हेतु महाविद्यालय की बेबसाइट का समय–समय पर अवलोकन करते रहें, अन्यथा किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। डाक्यूमेंट वेरीफिकेशन के उपरांत ही आवेदक प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
4. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को स्क्रूटनी/काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त डिजिटल जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदक को स्क्रूटनी/काउंसिलिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त म.प्र. राज्य का डिजिटल मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. काउंसिलिंग प्रकिया में सीट आवंटन के समय आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले समस्त मूल दस्तावेज पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक महाविद्यालय में जमा रहेंगे। जमा किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों/अभिलेखों की अलग से 10–10 सेट छायप्रतियॉ तथा कलर स्कैन पीडीएफ फाईल आवेदकों को अपने पास सुरक्षित रखना होगा, क्योकि कोर्स अवधि के दौरान कार्यालय में जमा मूल दस्तावेजों/रिकार्ड से कभी भी कोई मूल दस्तावेज अथवा छायाप्रति प्रदान नहीं की जावेगी।,
7. काउंसिलिंग में उपस्थित होने के लिए, किसी भी प्रकार का दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
8. आवेदक को काउंसिलिंग के दिन पाठ्यक्रम आवंटन के समय ही समस्त शैक्षणिक शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त पाठ्यक्रम को अगली मेरिट वाले छात्र/छात्रा को आवंटित कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।

XI. अनुशासन नियंत्रणः–

1. सभी छात्र/छात्रा संस्था प्रमुख के अनुशासिक नियंत्रण में रहेंगे तथा महाविद्यालय के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा, यदि किसी छात्र/छात्रा का आचरण चिकित्सा महाविद्यालय के नियमों के विपरीत पाया गया तो विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर उसके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही, की जावेगी या कभी भी उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा। यदि किसी भी कारण वश प्रवेश निरस्त किया जाता है, तो कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
2. यदि प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से यह संज्ञान में आता है कि, कोई छात्र/छात्रा अनियमितता/आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है तो महाविद्यालय उसका प्रवेश निरस्त कर सकता है।

18/05/26
दिनेश कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

15/8/26
डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

3. किसी भी छात्र/छात्राओं को अनुशासनहीनता अथवा आचरणहीनता की श्रेणी पाये जाने पर महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
4. यदि आवेदक द्वारा प्रवेश आवेदन अथवा एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से दी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो महाविद्यालय को यह अधिकार होगा कि आपका प्रवेश निरस्त कर सकता है।

XII. अन्य नियम एवं शर्तें:–

1. यद्यपि पैरामेडिकल पाठ्यक्रम रोजगारोन्मुखी है, फिर भी महाविद्यालय किसी भी छात्र/छात्रा को रोजगार उपलब्ध कराने हेत उत्तरदायी नहीं होगा।
2. आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में प्रवेशित विद्यार्थियों को म.प्र. शासन द्वारा अधिसूचित विभिन्न योजनाओं का लाभ शासकीय छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार संचालित योजनाओं के अधीन पात्रता नियमानुसार प्राप्त होगी, यदि संबंधित विभाग द्वारा छात्रवृत्ति विलम्ब से अथवा स्वीकृत नहीं की जाती है तो छात्रों को समस्त शुल्क स्वयं जमा कराना होगा तथा इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
3. ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सत्र 2025–26 में किसी भी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्राप्त की हो या आवेदन किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा सत्र 2025–26 या पूर्व के वर्षो में किसी भी व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययन किया हो एवं उक्त व्यवसायिक पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्राप्त की हो अथवा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया हो ऐसे अभ्यर्थियों को भी छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
4. स्वशासी श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा के अंतर्गत संचालित समस्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम नियमित एवं पूर्णकालिक है, पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में अध्ययन के दौरान छात्र/छात्राओं को किसी भी अन्य पाठ्यक्रम में अध्ययन तथा नियमित नौकरी (सेवारत अभ्यर्थी को छोड़कर) करने की पात्रता नहीं होगी। छात्र को इस आशय का शपथ–पत्र रू. 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प में प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. विभागीय कर्मचारियों के लिए शासन के नियमानुसार 10% सीटें आरक्षित रहेंगी। विभागीय कर्मचारियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र केवल संचालक स्वास्थ सेवायें म.प्र. भोपाल/संबंधित संस्था के संस्था प्रमुख का ही मान्य होगा। विभागीय कर्मचारी न होने पर उक्त आरक्षित सीटें संबंधित वर्ग के पात्र आवेदकों से भरी जायेगीं।
6. जिस पाठ्यक्रम में 05 से कम छात्र प्रवेश लेते हैं, ऐसे पाठ्यक्रमों को संचालित कराना संभव नहीं होगा। ऐसे छात्र अपनी जमा शुल्क वापस ले सकते हैं अथवा अन्य पाठ्यक्रम के रिक्त सीट में मेरिट के आधार पर प्रवेश ले सकते हैं।
7. सह चिकित्सीय पाठ्यक्रम के छात्र/छात्राओं हेतु वर्तमान में महाविद्यालय में छात्रावास में रिक्तता नहीं है।
8. किसी भी प्रकार के विधि प्रकरण का न्याय क्षेत्र रीवा न्यायालयीन क्षेत्र के अंतर्गत होगा।
9. प्रवेशित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल काउंसिल के नियमानुसार उपस्थिति संबंधी मानदण्ड पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी विश्वविद्यालयीन/पैरामेडिकल काउंसिल परीक्षा में सम्मिलित होने के साथ–साथ म.प्र. शासन से मिलने वाले लाभ से भी वंचित होगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
10. विश्वविद्यालय/पैरामेडिकल काउंसिल द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क, नामांकन शुल्क एवं सम्बद्धता शुल्क पृथक से छात्र/छात्राओं द्वारा देय होगा।
11. प्रवेश के समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा, काउंसिलिंग के समय निम्नलिखत मूल दस्तावेजों के साथ–साथ उसकी स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के 02 सेट निम्नलिखित कमानुसार संलग्न कर, व्यक्तिगत फाईल फोल्डर में रखकर अपने साथ लायें, क्योंकि सीट आवंटन के समय आवेदक द्वारा जमा किये जाने वाले समस्त मूल दस्तावेज पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक महाविद्यालय में जमा रहेंगे, आवेदक को इस आशय का प्रमाण प्रवेश के समय जारी किया जावेगा। किसी भी दस्तावेज की मूलप्रति न होने पर स्क्रूटनी एवं काउंसिलिंग प्रकिया से वंचित करने का अधिकार प्रवेश समिति का रहेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी।
   (a) एम.पी. ऑनलाईन आवेदन की पावती की छायाप्रति।
   (b) 10वीं की अंकसूची (जन्मतिथि प्रमाण हेतु)।
   (c) 12वीं की अंकसूची (भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ)।

18/05/26
शिवा कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

18/5/26
डॉ० लोकेश त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग

Dean
S.S. Medical College
Rewa (M.P.)

(d) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल निवास प्रमाण पत्र।
(e) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)।
(f) अन्य पिछडा वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम डिजिटल आय प्रमाण पत्र।
(g) ई.डब्ल्यू.एस. वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र।
(h) दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
(i) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
(j) विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की मूलप्रति।
(k) स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
(l) माइग्रेशन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।
(m) आधार कार्ड की छायाप्रति।
(n) 10 पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो जिसमें अभ्यर्थी के दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हों एवं अभ्यर्थी का नाम एवं दिनांक लिखा हो (03 माह से अधिक पुराना न हो)।

अधिष्ठाता
श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

18/05/26
शिवम कुम्हार
प्रभारी लिपिक, पैरामेडिकल अनुभाग

18/5/26
डॉ० [illegible] त्रिपाठी
नोडल अधिकारी
पैरामेडिकल अनुभाग